



बौद्धिक पूँजी निर्माण: विकसित भारत @2047

डॉ० उपासना शर्मा

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ई मेल-drupasna.eco@gmail.com

सारांश

बौद्धिक पूँजी निर्माण प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत नागरिकों के ज्ञान, कुशलता व क्षमताओं में वृद्धि हेतु मुद्रा या धन का निवेश किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा से, कुशलता प्रशिक्षण से, क्षमताओं में वृद्धि शोध, अन्वेषण व तकनीकी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बौद्धिक पूँजी को सशक्त बनाने हेतु भौतिक पूँजी को भी अधिक उत्पादक बनाया जाता है। इसके लिए किसी भी देश के इन्जीनियर, तकनीकी प्रशिक्षक, प्रबन्धकीय और प्रशासकीय सेवा वर्ग, वैज्ञानिक, चिकित्सक और कृषि विशेषज्ञ आदि बौद्धिक सम्पदा के रूप में विशेष योगदान प्रदान करते हैं और राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ० वी० के० आर० वी० राव ने कहा था- “मानव की कुशलता एवं दक्षता पर आर्थिक विकास का ढाँचा खड़ा किया जा सकता है।”

बौद्धिक पूँजी निर्माण में मानव पूँजी निर्माण के आन्तरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों का अपना-अपना योगदान होता है। मानव पूँजी निर्माण के उपायों में अनिवार्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर बल, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, प्रौढ़ शिक्षा एवं समुचित प्रेरणा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि मानव पूँजी में विनियोग की सीमाएं भी हैं परन्तु यह भी सर्वज्ञात सत्य है कि जानकारी और कौशल अर्जन, कार्य अनुभव से ही प्राप्त होता है। कौशल निर्माण के लिए नई शिक्षा नीति में विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनसे निश्चित रूप से ही भारतीय युवाओं के कौशल, प्रशिक्षण एवं ज्ञान में वृद्धि हो रही है। भारत में शिक्षा पर किए जाने वाले कुल व्यय में भी निरन्तर वृद्धि की जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है और इसके साथ-साथ तकनीकी तथा प्राविधिक क्षेत्र में नवाचार व नव- प्रवर्तन का दौर जारी है। लर्निंग बाय डूइंग (करके जानकारी) या करने से जानकारी की स्वीकार्यता से ही शिक्षा, ज्ञान एवं शोध के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। विकसित भारत @2047 के लिए बौद्धिक पूँजी निर्माण की भूमिका अहम सिद्ध हो सकती है।

मुख्य शब्द- बौद्धिक पूँजी, ज्ञान, प्रशिक्षण, निवेश, बौद्धिक सम्पदा

उद्देश्य- इस शोध पत्र में आर्थिक विकास में बौद्धिक पूँजी निर्माण की भूमिका एवं महत्व, बौद्धिक पूँजी निर्माण में सम्मिलित सम्पत्तियों का विस्तारपूर्वक वर्णन, बौद्धिक पूँजी निर्माण के आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतों के स्वरूपों का अध्ययन, बौद्धिक या मानव पूँजी निर्माण के उपाय, मानव पूँजी निर्माण निर्माण में विनियोग की सीमाएं तथा बौद्धिक पूँजी निर्माण का संरचनात्मक पूँजी के साथ सम्बन्ध एवं व्यावहारिक पहलुओं का निर्वचन किया गया है। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016 की विभिन्न धारणाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें वर्तमान समय में बौद्धिक पूँजी निर्माण की उपयोगिता पर भी चर्चा की गयी है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, गुणात्मक एवं विवेचनात्मक आदि विधियों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तावना- बौद्धिक पूँजी निर्माण की प्रक्रिया के अन्तर्गत देश के नागरिकों के ज्ञान कुशलता एवं क्षमताओं में वृद्धि हेतु मुद्रा का निवेश या विनियोग किया जाता है। वर्तमान समय में विश्व के समस्त देश अपने उपलब्ध संसाधनों की सहायता से बौद्धिक पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न हैं। बौद्धिक पूँजी हेतु भौतिक पूँजी को अधिक उत्पादक बनाया जाता है। देश के इंजीनियर, तकनीकी प्रशिक्षक, प्रबन्धक और प्रशासकीय सेवा वर्ग, वैज्ञानिक चिकित्सक और कृषि विशेषज्ञ बौद्धिक सम्पदा के रूप में अपना विशेष योगदान प्रदान करते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या का शिक्षित होने के साथ-साथ प्रशिक्षित तथा तकनीकी ज्ञान से युक्त होना दिव्या आर्थिक विकास का सूचक है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाने तथा देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का युक्तिपरक विदोहन करने में उस देश की विवेकशील जनसंख्या की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। अल्प विकसित देशों (UDCs) में आर्थिक विकास की धीमी प्रगति के लिए मानव पूँजी अथवा बौद्धिक सम्पदा के विकास हेतु निवेश न किया जाना रहा है। आर्थिक पिछड़ापन दूर करने और प्रगति, क्षमताएं व प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिकों के ज्ञान में कुशलता में वृद्धि के पर्याप्त प्रयास किये जाए।¹

विवेचन (Discussion)- किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की कार्यकुशल, शिक्षित एवं प्रशिक्षित श्रम शक्ति पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास एक यान्त्रिक क्रिया मात्र ही नहीं, वरन मानवीय उपक्रम भी है। इसीलिए मानवीय उपक्रमों की भाँति आर्थिक विकास जन-समुदायों की कुशलता, गुणों एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है।

आर्थिक विकास की दृष्टि से भौतिक पूँजी की अपेक्षा मानवीय पूँजी को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि मानवीय साधनों की कुशलता एवं दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढाँचा खड़ा किया जा सकता है। कहा जाता है कि यदि किसी देश के पास पर्याप्त व श्रेष्ठतम मानव पूँजी उपलब्ध है तो उसे देश की भौतिक पूँजी और भी अधिक उत्पादक बन जाती है और विपरीतः।

शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ० अजित दास गुप्ता ने लिखा है- “शिक्षा को आवंटित किए गए साधन उत्पादकीय क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अतः शिक्षा तथा अन्य आधार-संरचना निवेश सिद्धांत के आवश्यक अंग है।” शिक्षा के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। प्रो० सिंगर का मत है कि शिक्षा में किया

गया विनियोग केवल उत्पादक ही नहीं होता बल्कि यह बढ़ता हुआ प्रतिफल देता है। यही कारण है कि विकसित देशों द्वारा अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान शिक्षा पर अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण का योगदान प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए श्रम का गुण ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अकुशल श्रमिक अधिक देर तक भी कम करें तो भी उनके प्रति व्यक्ति आय कम होगी। निरक्षर तथा अप्रशिक्षित व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे जटिल मशीनरी का चालन व देखरेख कर सकेंगे। इस तरह आर्थिक रूप से उन्नत देशों ने अपना आर्थिक विकास देश के योग्य एवं प्रशिक्षित श्रमिकों तथा तकनीशियनों के बल पर किया है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों यथा- शुल्ज, हर्बिन्सन, डैनिसन, कैण्डिक व कुजनेटस आदि द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के लिए मुख्य रूप से शिक्षा पर किया गया विनियोग ही उत्तरदायी है। इन सभी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि- शिक्षा पर खर्च किया गया एक डॉलर, राष्ट्रीय आय में उसकी अपेक्षा अधिक वृद्धि करता है जितना आर्थिक संरचना (बाँध व सड़कें) आदि में पूँजीगत वस्तुओं पर एक डॉलर लगाने से प्राप्त होता है।

अतः वर्तमान समय में विश्व के देशों में मानव पूँजी में विनियोग हेतु उच्च प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्व एक गैर विवादित सत्य है।

मानव पूँजी में निवेशक तात्पर्य सब कुछ अर्थों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय करना है जबकि व्यापक अर्थों में स्वास्थ्य शिक्षा तथा समस्त सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने से लगाया जाता है।

शिक्षा सम्बन्धी विनियोग मुख्यतः तीन क्षेत्रों में किया जा सकते हैं-

1. कृषि विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करने,
2. औद्योगिक कौशल को उन्नत करने तथा
3. प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय क्षमता में वृद्धि करने हेतु।

शोध एवं विकास- शोध, अन्वेषण तथा नवप्रवर्तन के सहयोग का परिणाम कहा जाता है। शोध तथा अन्वेषण की प्रक्रिया में ज्ञान का सृजन होता है तथा विकास व नवप्रवर्तन नहीं ज्ञान का उत्पादन कार्य में प्रयोग करते हैं। इस तरह शोध एवं अन्वेषण ही प्राविधिक परिवर्तन का आधार होते हैं तथा यह जनता के सांस्कृतिक गुणों पर निर्भर करते हैं।

प्रो० किंडलबर्जर के अनुसार- “प्राविधिक प्रगति का अर्थ किसी व्यवसाय में प्रयुक्त, ज्ञान और वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन है इसके द्वारा इस मात्रा में साधनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन किया जा सकता है अथवा उसी मात्रा में उत्पादन करने के लिए साधनों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका प्रभाव पुराने उत्पादन की अधिक मात्रा के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाले नए उत्पादन के रूप में भी हो सकता है।”

तकनीकी या प्राविधिक प्रगति के चार मुख्य स्रोत कहे जा सकते हैं-

1. देश की जनता की अन्वेषणकारी तथा नव प्रवर्तन कार्य क्रियाएं।
2. विदेशी व्यापार, विदेशी सहायता अथवा सम्पर्क आदि विभिन्न माध्यमों से विदेशों से सुधारी हुई तकनीकों का आयात।
3. ‘करके द्वारा सीखना’ (learning by doing) अर्थात् देश के श्रमिकों प्रबन्धकों, मालिकों का उत्पादक कार्यों में व्यावहारिक अनुभव और सीख।
4. मानवीय पूँजी में निवेश अर्थात् देश की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निपुणता में सुधार।

तकनीकी प्रगति को आधुनिक युग तथा विकसित समाज की प्रमुख विशेषता कहा जाता है। तकनीकी प्रगति एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत नई तकनीकें, नई मशीनें, परिवर्धित कार्यकुशलता तथा उत्पादकता आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक समाज को तकनीकी विकास के लिए लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। **प्रो० साइमन कुजनेटस** ने तकनीकी विकास के लिए विभिन्न चरणों का निर्धारण किया है। जैसे- वैज्ञानिक खोज तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि,

अविष्कार अर्थात उपयोगी उद्देश्य हेतु उपलब्ध ज्ञान का उपयोग, अविष्कार का आर्थिक उत्पादन में प्रयोग अथवा नवप्रवर्तन तथा नवप्रवर्तन का आधिकारिक प्रसार एवं उसमें सुधार।

इस प्रकार तकनीकी प्रगति एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसका आरम्भ मौलिक खोजों से भी हो सकता है और उत्पादन प्रक्रिया में सूक्ष्म सुधार से भी हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि शोध एवं अन्वेषण आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का आधार है, और आधुनिक तकनीक आर्थिक प्रगति का आधार है।

बौद्धिक पूँजी निर्माण का महत्व-

बौद्धिक पूँजी निर्माण के महत्व को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

1. **आर्थिक विकास-** विश्व के समस्त देशों, विशेषकर एशियाई देशों में बौद्धिक निर्माण द्वारा उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक विकास किया जाना सम्भव हुआ है।
2. **नवाचारात्मक दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धात्मकता-** यह नई प्रक्रियाओं और नये उत्पादों के विकास में सहायता करता है जिससे बौद्धिक निर्माण अपनाने वाले देशों को बाजार में प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलता है।
3. **कर्मचारियों से जुड़ाव-** बौद्धिक निर्माण के द्वारा कोई संस्था या संगठन अपने कर्मचारियों को मूल्यवान महसूस कराता है, कि वे इस संस्था या संगठन के लिये अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।
4. **बेहतर प्रदर्शन-** किसी भी संस्था या संगठन में ज्ञान साझा करने और सहयोग से संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार होता है। इसका बेहतरीन उदाहरण राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया है।²

बौद्धिक पूँजी निर्माण की प्रक्रिया³ -

बौद्धिक पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में निम्न तत्वों एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है-

- संगठन के पास उपलब्ध अमूर्त सम्पत्तियाँ
- ज्ञान को पहचानना और वर्गीकृत करना
- ज्ञान और विशेषज्ञता को कर्मचारियों के बीच साझा करने के लिए एक वातावरण बनाना
- नवाचार को बढ़ावा देना
- समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देना
- एक ऐसा कार्यस्थल बनाना जहाँ कर्मचारी अपने ज्ञान और विचारों का योगदान करने में सम्मानित और मूल्यवान महसूस करें
- उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए आन्तरिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन व सुधार करना।

बौद्धिक पूँजी निर्माण के स्रोत- बौद्धिक पूँजी निर्माण में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बौद्धिक पूँजी निर्माण में सहयोग देने वाले प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं-

1. **आन्तरिक स्रोत-** आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्थानीय तकनीक एवं संसाधनों को प्रयोग किया जाना उचित होता है क्योंकि विदेशों से तकनीक एवं कौशल का आयात दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता। आन्तरिक स्रोतों का विदोहन करने से कौशल निर्माण भी होता है। कौशल निर्माण के दो आन्तरिक साधन हैं।

(A) विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना और उनमें शिक्षक सुविधा उपलब्ध कराना।

(B) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITIs) की स्थापना करके उनमें प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना।

2. **बाह्य स्रोत-** देश के आर्थिक विकास हेतु विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लेकर घरेलू श्रम शक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी तकनीकी संस्थानों और विशेषज्ञों के ज्ञान का उचित उपयोग करना। विदेशी कौशल निर्माण करने के आयात के चार मुख्य स्वरूप हैं-

1. विदेशी तकनीशियनों को स्थाई अथवा अस्थायी रूप से देश में नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।
2. घरेलू श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ समय के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जा सकता है।
3. देश के श्रमिकों को तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विदेश में भेजना तथा उनके आने-जाने की समुचित व्यवस्था करना।
4. तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त विदेशी श्रमिकों को देश में प्रवास हेतु सुविधाएं उपलब्ध करना तथा उन्हें अपने यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करना।

लर्निंग बाय डूइंग- यह सत्य है कि कार्य करने के अनुभव से जानकारी और कौशल अर्जन होता है। यही कौशल अर्जन व्यक्ति के बौद्धिक निर्माण, रचनात्मक विचारों और नवीन शोध आदि में सहायक होता है। किसी वस्तु विशेष के उत्पादन से सम्बन्धित कार्य के करने से प्राप्त जानकारी एवं अनुभव के आधार पर उस वस्तु के उत्पादन को दक्षता तथा उत्पादकता के स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

श्रमिक, प्रबन्धक, उद्यमी, व्यवसायी तथा पूँजी के स्वामी अपने अनुभव एवं कौशल अर्जन के फलस्वरूप अपने उत्पादन की लागतों में कमी करते हैं और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके अधिकतम लाभ प्राप्ति में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। जानकारी एवं कार्य अनुभव के आधार पर ही सिर्फ एक विशेषता एवं निपुणता अर्जित करते हैं और प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कर सकते हैं। प्रबन्धक भी अनुभव के आधार पर अपनी दक्षता में वृद्धि करता है। दक्षता प्राप्त प्रबन्धक सामान्य प्रबन्धक की अपेक्षा अपनी संस्था या संगठन को अन्य की अपेक्षा अपनी संस्था या संगठन को आगे की ओर ले जाता है।

असमावेशित तकनीकी प्रगति में अनुभव से प्राप्त ज्ञान एक वाह्यजात तंत्र है। असमावेशित तकनीकी प्रगति विशुद्ध रूप से संगठनात्मक होती है जिसमें आगतों में परिवर्तन किए बिना तथा बिना किसी नवीन निवेश के अधिक उत्पादन किया जाता है और यह सब अनुभव से प्राप्त कौशल के आधार पर ही होता है। कोई भी जानकारी अनुभव से ही प्राप्त होती है। अनुभव को उत्पादित वस्तु की मात्रा से मापा जाता है, तो जितना अधिक उत्पादन होगा प्रति इकाई लागत उतनी ही कम होगी। जानकारी के परिणाम बढ़ते हुए प्रतिफल की तरह होते हैं। जानकारी होने से उत्पादकता की दर बढ़ जाती है। जब फर्म नई वस्तुएँ उत्पादित करना प्रारम्भ करती हैं, तो करने से जानकारी को अंगीकार करती हैं। जब फर्म पहली इकाई उत्पादित कर लेती है तो अनुभव एवं जानकारी के आधार पर समय एवं लागत को अधिक कम करने का प्रयास करती है। यह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र ही है। लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का अनुमान भी लगाया जा सकता है।⁴

मानव पूँजी निर्माण के उपाय- बौद्धिक पूँजी अथवा मानव पूँजी और मानव विकास संसाधन हेतु निम्न उपायों को प्रयोग में लाकर आर्थिक विकास में तेजी लायी जा सकती है।

1. **शिक्षा की अनिवार्यता-** शिक्षा व्यक्ति को युक्तिपरक बनाती है और कुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। शिक्षित व्यक्ति देश के आर्थिक विकास में अधिक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसलिए देश में माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना उचित है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही वह क्रांतिक कुशलता (क्रिटिकल स्किल्स) प्रदान करते हैं जो आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
प्रो० लुईस ने माध्यमिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि - “माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास के ध्वजवाहक तथा अनायुक्त अधिकारी(Non Commissioned) हैं।”
2. **तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन-** अल्पविकसित देशों एवं विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानव पूँजी की आवश्यकता इसलिए सर्वाधिक होती है क्योंकि शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति ही जटिल विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अतः वहाँ सामान्य स्नातक की अपेक्षा क्रांतिक कुशलताओं वाले

व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ- इन देशों में उद्यमियों, व्यापार प्रबंधकों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों और डॉक्टरों आदि की अधिक आवश्यकता होती है।

3. **शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन-** शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन एवं सुधार आवश्यक है। जहाँ निरक्षरता दूर करना जरूरी होता है वहीं उच्च शिक्षा उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो उसके योग्य हों। इसके साथ ही व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामान्य स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने मात्र से अधिक मानव पूँजी निर्माण नहीं होता बल्कि इससे शिक्षित बेरोजगारी अधिक बढ़ती है और सामाजिक असंतोष में वृद्धि होती है तथा उत्पादकता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
4. **प्रौढ़ शिक्षा-** प्रौढ़ शिक्षा को कृषकों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं से जोड़ा जाना चाहिए। इससे कृषकों का दृष्टिकोण परिवर्तित होगा, उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी तथा वे रूढ़ियों व प्रथाओं के सम्बन्ध में अधिक विवेकशील हो सकेंगे। अतः प्रौढ़ शिक्षा को ग्राम शिक्षा कार्यक्रम के एक अंग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
5. **समुचित प्रेरणा-** हार्विन्सन का मत है तीव्र आर्थिक विकास हेतु महिला एवं पुरुषों को समुचित प्रेरणा प्रदान की जाए जिससे वे ऐसी उत्पादक क्रियाओं की ओर उन्मुख हों जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। व्यक्तियों को प्रशिक्षित कराये जाने की जिम्मेदारी प्रमुख नियोजक संस्थाओं पर डाला जाना उचित है तथा इन संस्थाओं का समुचित पथ-प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए ताकि वे आधुनिक रोजगार-उन्मुख कार्यक्रमों का विकास कर सकें।

मानवीय पूँजी में विनियोग के औचित्य एवं महत्व को आज निर्विवाद रूप से इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इससे बौद्धिक पूँजी निर्माण होता है, परन्तु फिर भी अल्पविकसित देश में मानवीय पूँजी में विनियोग की कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण इन देशों में वांछित दर से कौशल निर्माण नहीं हो पाया है।

मानवीय पूँजी में विनियोग की सीमाएं- अल्पविकसित देशों में गरीबी एवं पूँजी की कमी से मानव पूँजी के विकास में समुचित विनियोग नहीं हो पाता जिससे इन देशों में कौशल निर्माण की गति धीमी रही है। मानव पूँजी में निवेश की धीमी गति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. UDCs में मानव संसाधनों के विकास हेतु विनियोजित की जाने वाली पूँजी का अभाव रहा है।
2. कौशल निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी के ज्ञान आयात करने हेतु विदेशी विनिमय कोषों की आवश्यकता थी परन्तु इन देशों में विदेशी मुद्रा का सर्वथा अभाव रहा है।
3. इन देशों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संगठनों तथा रूढ़िवादी विचारों के कारण भी प्राविधिक ज्ञान को अपनाने व लागू करने में कठिनाई बनी रही है।
4. विकास, ज्ञान तथा कौशल के प्रति उदासीनता रहने से मानव पूँजी में विनियोग करने को प्रोत्साहन नहीं मिला है।
5. वित्तीय साधनों के अभाव के कारण भौतिक विकास के लिए साधनों का अभाव बना रहा जिसे त्वरित आर्थिक विकास की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।
6. कौशल निर्माण के तीन प्रमुख तत्वों, ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभव को साकार रूप देने के लिए एक लम्बे समय तक विनियोग करना पड़ता है क्योंकि कौशल निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। कौशल निर्माण के परिणाम दीर्घकाल में फलीभूत हो पाते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर कौशल निर्माण के लिए निरन्तर विनियोग, असीमित धैर्य तथा पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता होती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016- भारत सरकार ने 12 मई 2016 को प्रथम बार बौद्धिक सम्पदा हेतु भविष्य का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति को अंगीकार किया था। इसका उद्देश्य भारतीय

बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सुधार करना था जिससे देश 'रचनात्मक भारत: अभिनव भारत' की दिशा की ओर अग्रसर हो सके। इस बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के जरिये सरकार द्वारा अनुसन्धान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअपस व अन्य हितधारकों को मजबूती प्रदान की जा सकेगी, ताकि वे अभिनव तथा रचनात्मक वातावरण का निर्माण कर सकें।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता में वृद्धि करना, बौद्धिक सृजन को प्रेरित करना, कड़े और प्रभावकारी बौद्धिक सम्पदा कानून बनाना, सेवा अभिमुखी बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रशासन का आधुनिकीकरण तथा सुदृढीकरण एवं व्यवसायीकरण के जरिए आईपीआर के लिए मूल्य प्राप्त करना, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उल्लंघन से लड़ने के लिए प्रवर्तन एवं अधिनिर्णय तंत्र का सुदृढीकरण तथा आईपीआर में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों, संस्थाओं एवं क्षमताओं का सुदृढीकरण तथा विस्तार करना है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन- विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, बौद्धिक सम्पदा सेवाओं, जैसे बौद्धिक सम्पदा के सन्दर्भ में नीति निर्माण, सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन विश्व में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के लिए कार्य करता है। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है। वर्तमान समय में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। भारत विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन का सदस्य देश है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार- बौद्धिक सम्पदा अधिकार वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में नवाचार और खोज के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार हैं। अन्य शब्दों में, किसी देश के नागरिकों को बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही "बौद्धिक सम्पदा अधिकार" कहलाते हैं। बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत कोई मौलिक रचना, आविष्कार, साहित्यिक एवं कलात्मक कार्य और वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्हों, नाम व चित्रों का प्रयोग होता है। बौद्धिक सम्पदा को प्रमुखतः दो भागों में रखा जा सकता है-

- A. **बौद्धिक सम्पदा-** इसके अन्तर्गत नए आविष्कारों के लिये पेटेंट प्रदान करने, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतकों, ट्रेडसीक्रेट्स को शामिल किया जाता है।
- B. **कापीराइट एवं इससे सम्बन्धित अधिकार-** इसमें साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों जैसे- उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्मों, संगीत, चित्र, तस्वीरें, मूर्तियाँ इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

अतः कहा जा सकता है कि बौद्धिक पूँजी अपने संगठन की ज्ञान अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है।⁵ परन्तु यह भी सत्य है कि किसी भी संस्था या संगठन पर बौद्धिक पूँजी का ही प्रभाव सर्वाधिक होता है।⁶ अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बौद्धिक पूँजी और आर्थिक विकास का सीधा संबंध रहा है।⁷

संक्षेप में कहा जा सकता है कि बौद्धिक पूँजी निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो किसी संगठन को अपने ज्ञान कौशल व क्षमताओं का लाभ उठाकर भविष्य के लिए अधिक मजबूत और उत्पादक बनाती है।⁸

निष्कर्ष एवम उपयोगिता- यद्यपि विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना सन 1967 में हो चुकी थी, परन्तु इसके महत्व में दिनोंदिन वृद्धि होती रही है। इसके माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। तदक्रम में भारत सरकार ने भी प्रथम बार वर्ष 2016 में व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति को अंगीकार किया था। यह नीति 'रचनात्मक भारत: अभिनव भारत' की दिशा में एक सार्थक एवं सराहनीय पहल है। देश में अभिनव और रचनात्मक वातावरण का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसन्धान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों आदि अन्य हितधारकों को मजबूती प्रदान करना है जिससे बौद्धिक सृजन को प्रेरित किया जा सके। बौद्धिक सृजन और रचनात्मकता के द्वारा ही बौद्धिक पूँजी का निर्माण होता है। बौद्धिक पूँजी में ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और शोध व विकास के संयुक्त सम्मिश्रण को सम्मिलित किया जाता है। बौद्धिक पूँजी निर्माण हेतु विश्व के समस्त

देशों में उत्पादन वृद्धि एवं आर्थिक विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, कर्मचारियों से जुड़ाव तथा बेहतर प्रदर्शन अर्थात् ज्ञान साझा करने और सहयोग करने में बौद्धिक पूँजी का विशेष महत्व है। अतः वर्तमान समय में बौद्धिक पूँजी निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे मानव संसाधन विकास में तीव्र गति से वृद्धि होगी और भारत 2047 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन पायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा जे० पी०- “संवृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र”, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा 2021, पृष्ठ संख्या 145-153 ”
2. विविधता प्रबन्धन एक दृष्टिकोण के रूप में संगठनो...www.emerald.com
<https://www.emerald.com>
3. बौद्धिक पूँजी: यह क्या है, और इसका महत्व क्यों है?, Betterup,
<https://www.betterup.com>
4. Ibid.
5. बौद्धिक पूँजी: अपने संगठन की ज्ञान अर्थव्यवस्था का निर्माण, Growth Engineering,
<https://www.growthengineering.co.uk>
6. व्यवसायिक संगठन पर बौद्धिक पूँजी का प्रभाव, Allied Business Academics,
<https://www.abacademies.org>
7. बौद्धिक पूँजी और आर्थिक विकास: कुछ चुनिंदा देशों से Evidence, <https://www.tandfonline.com>
8. बौद्धिक पूँजी एक सिंहावलोकन/ साइंसडायरेक्ट विषय E Sciencedirect.com,
<https://www.sciencedirect.com>